न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 22 / 2023
निर्णय दिनांक : 31.05.2024
GCMS NO : 2023/41

1. श्रवणकुमार
2. बीरबलराम

पुत्रगण बुधरराम जाति जाट निवासीगण ग्राम अणखोल्यां तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि रोही ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की रोही में खाता संख्या 110 में अंकित खेत खसरा संख्या 206, 219, 223, 235 व 243 कुल किता तादादी 15.5279 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त खाता संख्या 110 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम अंकित हो गया है। जोकि गलत है। प्रार्थीग्ण के पिता का सही व वास्तविक नाम बुधरराम है। प्रार्थीगण के नाम से जारीशुदा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि में पिता का नाम बुधरराम ही अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपने वैद्य अधिकारों से महरूम हो रहे हैं। उक्त खाते की भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम अंकित है जिसे दुरस्त करवाकर बुधरराम अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अतः रोही ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की रोही में खाता संख्या 110 की भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम की जगह बुधरराम अंकित करने का आदेश फरमावें।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना– प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम दर्ज है एवं प्रार्थीगण पुरखाराम के जायन्दा वारिस है। उक्त दोनों प्रार्थियों के पक्ष में रूकमणी पत्नी बुधरराम जाति जाट निवासी अणखोल्या द्वारा अपनी कृषि भूमि की वसीयत की गई है। न्यायालय तहसीलदार सुजानगढ़ के मुकदमा नम्बर 03/2022 में निर्णय दिनांक 12.11.2022 के अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति में पिता का नाम पुरखाराम दर्ज है। प्रार्थीगणों ने दस्तावेजों में पिता का नाम बुधरराम दर्ज करवाया हुआ है। पुरखाराम एवं बुधरराम दोनों अलग–अलग व्यक्ति हैं। अतः प्रार्थीगणों का पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुरखाराम किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, राशन कार्ड की प्रति आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम बुधरराम ही दर्ज है। ग्राम पंचायत हरासर द्वारा जारी कुर्सीनामा की फोटोप्रति से स्पष्ट है कि स्व. रूकमादेवी पत्नी स्व बुधरराम के 2 वारिसान प्रार्थीगण मात्र ही हैं। रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ के मुताबिक प्रार्थीगणों के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुरखाराम किया जाना उचित नहीं है। चूकि प्रार्थीगणों के दस्तावेजों में पिता का नाम बुधरराम दर्ज है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा के अनुसार भी प्रार्थीगण स्व. बुधरराम के ही वारिसान हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम अणखोल्या के खाता संख्या 110 में अंकित खेत खसरा संख्या 206, 219, 223, 235 व 243 कुल किता 15.5279 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम के स्थान पर बुधरराम दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़